



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल गवालियर जिला गवालियर म.पु.

१/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./२०१७/४२२८  
श्रीमति राजेन्द्र कुमारी पुत्री नोने विषय सिंह ठाकुर

निवासी ग्राम हूडा हाल निवासी ग्राम हैदरपुर

तहसील व जिला टीकमगढ़ म.पु. ५ फोतौ

उत्तराधिकारी

१. रामराजा सिंह तनय स्व. धर्मपाल सिंह ठाकुर

२. माधुरी, बृजेन्द्र कुमारी पुत्रिया स्व. धर्मपाल सिंह  
ठाकुर निवासी ग्राम हैदरपुर हाल निवासी रौरईर  
दरवाजा टीकमगढ़ तह.व जिला टीकमगढ़ म.पु.

.....निगरानीकतागण

बनाम

१. नत्थ सिंह तनय सूरत सिंह ठाकुर

२. जगत सिंह तनय सूरत सिंह ठाकुर

दोनो निवासी ग्राम हैदरपुर तह.व जिला टीकमगढ़

म.पु.

.....प्रतिनिगराकारण


निगरानी प्रतिकूल आदेश न्यायालय श्रीमान कलेक्टर टीकमगढ़ के  
प्रकरण क्रमांक- 74/निगरानी/1999-2000 आदेशादिनांक 31.10.2000:

से व्यष्टि होकर :-

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.पु. भू.रा.संहिता 1959

(3)

B.O.R.  
1 सितम्बर  
26 SEP 2017




194  
23/10/07

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—एक / निगरानी / टीकमगढ़ / भू.रा. / 2017 / 4228

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी विरुद्ध नामांकित : आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी कलेक्टर, जिला—टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 74 / निगरानी / 1999—2000 में पारित आदेश दिनांक 31—10—2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30—10—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	 <div style="text-align: right;">                   (जे०क०० जैन)                  सदस्य             </div>